

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

149/2025
25/08/25

2025/235

सेवा में
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पीपली की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 21, 180, 27 व 26 में मेरा नाम कन्हैया हो रखा है जिसको फाता करना है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक

प्रार्थी कन्हैया

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम पीपली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या में प्रार्थी का नाम कन्हैया दर्ज है। जबकि मुताबिक सलगन आधार जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम फाता पुजन (सपन) है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. मंगरीष
26/8/25

पटवारी
पटवारी
पटवार मण्डल पीपली

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी पीपली व भू.अ.नि. मंगरीष एवं प्रार्थी द्वारा सलगन दरतावेज के आधार पर ग्राम पीपली की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 21, 180, 27 में प्रार्थी का नाम कन्हैया के बजाय कन्हैया उर्फ फाता किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

गणेश देवा
25/8/25

तहसीलदार
हमीरगढ़

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम पीपली जमाबन्दी संवत् 2075-78 खाता संख्या 21, 26, 27, 180 में दर्ज प्रार्थी का नाम कन्हैया के संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

कन्हैया उर्फ फाता

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़
जिला-भीलवाड़ा